...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 48/2024

1 श्रीमती भगवती पत्नि अनाराम जाति नायक निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर जिला--चूरू राज.

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 केशरदेवी पत्नि पेमाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
3 अनाराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
4 कालीदेवी पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
5 ज्यानीदेवी पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
6 पाबुराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
7 ओमाराम दतक पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
8 हुकमाराम पुत्र भगवानाराम जाति नायक निवासी उन्टालड़ तह. बीदासर चूरू
9 शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू
10 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कातर छोटी तह. बीदासर चूरू
11 उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बीदासर जिला चूरू राज.
12 उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय कातर छोटी तह. बीदासर जिला चूरू

.............प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88ए, 188ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 – पैरोकार राज.
3 प्रतिवादी स. 2,3,5,6 – अख्तार सोलंकी, मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट

दिनांक :–27/3/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम उन्टालड़ में खातेदारी खेत खाता नम्बर 34 खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 3.5410 हैक्टेयर (14–00 बीघा) संयुक्त खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसे आगे दावे में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार रोही ग्राम उन्टालड़ में खेत खाता नम्बर 385 खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 4.7803 हैक्टेयर (18–18 बीघा) संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वाद के प्रतिवादी सख्या 7 ओमाराम के पिता मालाराम पुत्र भगवानाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज रहा है उपरोक्त वर्णित खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 3.5410 हैक्टेयर (14–00 बीघा) में से 1/3 हिस्सा तथा खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 4.7803 हैक्टेयर (18–18 बीघा) में से खातेदार मालाराम पुत्र भगवानाराम द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र पंजीकृत तारीख 22/12/2023 के आधार पर

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, (चूरू)

फल प्राप्त कर वादीया को विक्रय किया जा चुका है, विक्रय पत्र के आधार पर खेत खसरा नम्बर 195 रकबा 4.7803 हैक्टेयर में से विक्रीत 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादीया के नाम जरिये स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 (रजि. न. 202303549100706) के आधार पर दर्ज होकर वादीया खेत खसरा नम्बर 195 में 1/3 हिस्सा की रेकॉर्डेड खातेदारा दर्ज हो चुकी है इसी विक्रय पत्र के आधार पर वादगत खेत खसरा नम्बर 19 में से वादीया के द्वारा खातेदार मालाराम पुत्र भगवानाराम का 1/3 हिस्सा प्रतिफल अदा करके खरीद किया गया है तथा खेत खसरा नम्बर 19 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता नम्बर 34 में विक्रय पत्र दिनांक 22/12/2023 के आधार पर दर्ज स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023(रजि. न. 202303549100706) का अंकन हो चुका है यानि मालाराम के द्वारा वादीया के पक्ष में करवाये गये विक्रय पत्र का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में अंकन हो चुका है लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटी से राजस्व रेकार्ड में विक्रेता मालाराम के स्थान पर वादीया का नाम दर्ज होने से छूट गया जो राजस्व कर्मचारीयों की तकनीकी त्रुटी से हुआ है, मुताबिक स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 (रजि. न. 202303549100706) के आधार पर मालाराम के स्थान पर वादीया का नाम दर्ज होना था जो नहीं होने के कारण राजस्व रेकार्ड में त्रुटी हुई है जिसको वादीया दुरूस्त करवाना चाहती है वादगत खेत के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित खातेदार मालाराम का स्वर्गवास हो चुका है, मालाराम के स्वर्गवास के बाद एक ही परिवार कुटुम्ब के व्यक्ति होने के कारण वादीया को पता चला की प्रतिवादी सख्या 7 मालाराम की विक्रय की गई भूमि अपने नाम दर्ज करवाने वास्ते कागजात बना रहा है वादीया ने दिनांक 25/7/2024 को प्रतिवादी सख्या 7 से निवेदन किया की वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 195 में से मालाराम का 1/3 हिस्सा मालाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिफल प्राप्त करके मुझ वादीया को विक्रय किया जाकर कब्जा मुझे सम्भलाया जा चुका है जिसकी खातेदारी मेरे नाम दर्ज हो चुकी है तो प्रतिवादी सख्या 7 ने वादीया को इन्कार कर दिया की मेरे पिता के नाम से खातेदारी दर्ज है मै उसमें विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाउंगा। तब वादीया ने दिनांक 28/8/2024 को वादगत खेत का राजस्व रेकार्ड फर्दखाता प्राप्त किया जो राजस्व रेकार्ड में मालाराम का नाम विक्रय पत्र के आधार पर स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 दर्ज होने के बावजूद गलत दर्ज होने की जानकारी हुई तथा वादीया को इसी दिन वादीया को राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण सख्या 1782 दिनांक 27/8/2024 विरासत प्रक्रियाधीन दर्ज होने की जानकारी हुई, वादीया ने राजस्व रेकार्ड फर्द खाता दिनांक 28/8/2024 प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी सख्या 7 से पुनः राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सख्या 7 ने राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया। जिससे वादीया को वाद हैतुक एवं वादाधार प्राप्त है वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सख्या 7 के पिता मालाराम का नाम अपनी हिस्सा भूमि विक्रय करने के उपरान्त भी गलत दर्ज चला आ रहा है जिसके कारण प्रतिवादी सख्या 7 के मन में लालच आ गया है तथा प्रतिवादी सख्या 7 वादीया की खरीद की गई भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है तथा गलत खातेदारी की आड़ में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाना चाहता है जिसका प्रतिवादी सख्या 7 को कोई अधिकार नहीं है। वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 18 के राजस्व रेकार्ड में वादीया को मालाराम द्वारा अपनी हिस्सा भूमि विक्रय करने के उपरान्त एवं विक्रय के आधार पर स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 का इन्द्राज होने के बाद भी गलत दर्ज मालाराम के नाम के आधार पर प्रतिवादी सख्या 7 वागदत भूमि में विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा कर वादीया को उसकी खरीद शुदा कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता है जिसका प्रतिवादी सख्या 7

लगातार......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, (चूरू)

कोई वैधानिक अधिकार नही है। प्रतिवादी सख्या 7 के इस प्रकार के कृत्य के कारण प्रतिवादी सख्या 7 को न्यायालय से वर्जित करवाने के अलावा दुसरा कोई विकल्प वादीया के पास नहीं है प्रतिवादी सख्या 7 ने वादीया को उपरोक्त विवादित खेत खसरा में गलत और निराधार खातेदारी की आड़ में जबरन बैदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए प्रतिवादी ने वादी को दिनांक 28–8–2024 को ऐलानिया धमकी दी है कि खेत हिस्सा से बैदखल करेगा इस कारण वादीया को वाद हैतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नाटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादीया वादगत भूमि की खातेदार एवं कब्जेधारी काश्तकार है इस कारण वादीया को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी सख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर भू–धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित है वादगत भूमि रोही उन्टालड़ तहसील बीदासर में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसरा के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है। दावा रेकार्ड दुरूस्ति, घोषणात्मक, विभाजन एवं चिर चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती है जो 10/– रूपये के न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है आदि प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे रोही उन्टालड़ के खसरा नम्बर 19 रकबा 3.5410 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार मालाराम का नाम विक्रय पत्र के आधार पर हटाया जाकर दर्ज स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 के आधार पर मालाराम के स्थान पर वादीया का नाम दर्ज करते हूए राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाये, प्रतिवादीगण 1 ता 8 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि विवादित खसरा में वादीयां के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादीया को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 8 उपरोक्त विवादित खेत में वादीया के हिस्सापांती एवं कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादीया के वैध अधिकारों पर असर पड़े अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार राज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सख्या 2, 3, 5, 6 की तरफ से श्री आमीन शेख, अख्तर सोलंकी ने वकालतनामा मय इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 4, 7 ता 11 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीया अपने वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहती, साक्ष्य वादी बन्द की गई, प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करना जाहीर करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। पत्रावली के न्यायिक विश्लेषण से प्रतीत होता है कि रोही ग्राम उन्टालड़ के खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 3.5410 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड में दर्ज विरासत नामान्तकरण सख्या 1782 दिनांक 27/8/2024 विक्रय पत्र दिनांक 22/12/2023 के मुकाबले अवैध एवं प्रभाव शून्य है। दावा वादीया स्वीकार कर वादीया के अधिकार विक्रय पत्र के आधार पर घोषित किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

लगातार.....4 पर

आदेश

अतः उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि रोही उन्टालड़ के खसरा नम्बर 19 रकबा 3.5410 हैक्टेयर में दर्ज प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण सख्या 1782 दिनांक 27/8/2024 को निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 की पालना में मालाराम का नाम हटाया जाकर मालाराम का 1/3 हिस्सा वादीया के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 8 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि विवादित खसरा में वादीया के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादीया को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं। प्रतिवादी स. 1 ता 8 उपरोक्त विवादित खेत में वादीया के हिस्सापांती एवं कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादीया के वैध अधिकारों पर असर पड़े। आदेश की पालनार्थ अलग से तहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

आदेष आज दिनाक 27–3–2025 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम........बीदासर जिला चूरू ....व
जनाब............पीठासीन अधिकारी............ श्री अमीलाल यादव R.A.S.

श्रीमती भगवती बनाम राज. सरकार आदि

दावा बाबत ....घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर...... 48/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू .... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व .....अख्तर सोलंकी व पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि .... **प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि रोही उन्टालड़ के खसरा नम्बर 19 रकबा 3.5410 हैक्टेयर में दर्ज प्रकियाधीन नामान्तरकरण सख्या 1782 दिनांक 27/8/2024 को निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 1695 दिनांक 22/12/2023 की पालना में मालाराम का नाम हटाया जाकर मालाराम का 1/3 हिस्सा वादीया के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 8 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि विवादित खसरा में वादीया के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादीया को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं। प्रतिवादी स. 1 ता 8 उपरोक्त विवादित खेत में वादीया के हिस्सापांती एवं कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा को विकय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादीया के वैध अधिकारों पर असर पड़े। आदेश की पालनार्थ अलग से तहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।**

फीस ......—...... मुबलिग......—......बाबत ......—......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ......—......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......—...... ....को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 03 2025

मुहर उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत बीदासर (चूरू)
ओहदा..................

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)